अराजकीय संस्कृत शिक्षण संस्थाओं की प्रस्वीकृति

प्रतिलिपि सं० आई/व 9/76-2291-िष्ण० दिनांक 18 अक्तूबर, 1976 (बिहार गजट का पूरक दिनांक 16 फरवरी, 1977)

विषय :—अराजकीय संस्कृत शिक्षण संस्थाओं की प्रस्वीकृति की शत्तें (पढ़ा गया संकल्प संख्या आई/ज 2-01/74-शि०-903, दिनांक 27 नवम्बर, 1975 का विन्दु 9)।

संस्कृत विद्यालयों की स्वीकृति की आतें निर्धारित नहीं रहते के कारण विद्यालयों की स्थापना सुनियोजित रूप से नहीं हो रही है। विद्यालयों में भूमि, भवन, शिक्षण उपस्कर आदि की अपेक्षित संख्या निर्धारित नहीं रहने के कारण ऐसे विद्यालय भी सम्बद्धता प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं, जो वस्तुतः संगठित एवं विकासशील नहीं हैं। प्रकटतः शिक्षण के स्तर एवं विद्यालय की प्रबन्ध व्यवस्था पर इसका प्रतिकूप असर पड़ा है।

उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर विभिन्न कोटि के अराजकीय संस्कृत चिन्नण संस्थाओं की प्रस्वीकृति प्रदान करने हेतु निम्नांकित शर्ता निर्धारत की है :—

ा संस्कृत विद्यालय के लिए प्रस्वीकृति के नियम

अंद्री इंग्र

1. प्राथमिक संस्कृत विद्यालय (प्रथम वर्ग से बाठ वर्ग तक) प्रितिवन्ध संख्या (1)—विद्यालय भवन तथा भूमि—

(क) प्रामीण क्षेत्र के लिए कम-से-कम डो-कट्ठा और शहरी क्षेत्र के लिए एक कट्ठा भूमि विद्यालय के नाम से निबन्धित होनी चाहिए ।

(ख) विद्यालय को कम-से-कम दो प्रकोष्ठों का भवन होना चाहिए। प्रतिबन्ध संख्या (2)—विद्यालय के पास कुर्सी, टेबुल आदि आवश्यक

उपकरण होना अनिवार्य है

प्रतिबन्ध केखग (3)—(क) विद्यालय में कम-से-कम दो शिक्षक होंगे। जिनसे एक प्रधानाध्यापक एवं एक सहायक अध्यापक होंगे। प्रधानाध्यापक के लिए न्यूनतम योग्यता, आयुर्वेद विज्ञान छोड़कर संस्कृत विषय में किसी एक शास्त्र में शास्त्री की होगी और सहायक अध्यापक की योग्यता आधुनिक विषयों के साथ मध्यमा या तत्समकक्ष परीक्षा होगी।

(ख) विद्यालय में छात्रों कं न्यूनतम संख्या तीस होगी। छात्ने संख्या में वृद्धि होने पर आवश्यकतानुसार थिक्षकों की संख्या बढ़ायी जा सकती है। उक्त योग्यता के शिक्षकों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित वेतन्मान उन्हें दिया जाएगा।

8 - 2. সংঘ্যাংক্তন विद्यालय (सप्तम-अध्यम वर्ग)

अतिबन्ध संक्या (1)—विद्यालय भवन और भूमि—

(क) ग्रामीण क्षेत्र में कग-से-कम पाँच कट्ठा और शहरी क्षेत्र में दो कट्ठा भूमि विद्यालय के नाम से निवन्धित होनी चाहिए।

(ख) विद्यालय को कम-से-कम चार प्रकोब्दों का भवन होना चाहिए।

प्रतिबन्ध संख्या (2)—आवश्यकतानुसार कुर्सी, टेबुल, बेच आदि उपक रण का होता अनिवासे है।

प्रतिबन्ध संख्या (3)—्क) विद्यालय में कम-से-कम चार शिक्ष र होगे जिनमें संस्कृत विषय के एक शास्त्री परीक्षात्तीणे प्रधानाध्यापक होगे और शेष तीन सहायक अध्यापक होगे। एक आदेशपाल होगा।

्तीन सहायक शिक्षकों में एक उच्चतर माध्यमिक या तत्समकक्ष योग्यता का शिक्षक होगा । शेष दो शिक्षक आधुनिक विषय के साथ मध्यमा परीक्षोत्तं.र्ण होगे जिनमें एक गणित विषय लेकर मध्यमा या तत्समकक्ष परीक्षोत्तीर्ण होगा ।

(ख) विद्यालय में छात्रों की न्यूनतम संख्या चालीस होगी। छात्र संख्या में वृद्धि होने पर आवश्यकतानुसार शिक्षकों की संख्या बढ़ायी जा सकती है।

इस विद्यालय में प्रथमा वर्ग के अतिरिक्त पचम और षष्ट वर्ग की भी पढ़ाई होगी। उक्त योग्यता के शिक्षकों और आदेशवाल के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान उन्हें दिया जाएगा।

3. माध्यमिक संस्कृत विद्यालय (नवस-वसम वर्ग)।

प्रतिबन्ध संख्या (1)—विद्यालय भूमि एवं भवन— (क) प्रामीण क्षेत्र में विद्यालय भवन) खेल-कूद आदि के लिए कम-से-कम एक बीघा भूमि तथा शहरी क्षेत्र में दस कट्ठा भूमि विद्यालय के नाम निबन्धित होनी चाहिए, जहाँ विद्यालय भवन अवस्थित होगा।

होनी चाहिए, जहाँ विद्यालय भवन अवस्थित होगा । (ख) विद्यालय को कम-से-कम छः प्रकोष्ठों का ई.ट.का बना अपना भवन होना चाहिए ।

प्रकोद्धों का आकार निम्नांकित होगा :---

A Capter Mance

(।) 14 × 10 का प्रकोष्ठ → दोकारकात तक तेर का का का का का अपन

कार्यालय एवं पुस्तकालय के लिए ।

(2) 18 × 12 का प्रकोष्ट्र चार

A Sel MA TANKER

वर्षे कार्य के लिए। जिल्ला कही। किन्ति कार्ता कार्तिक कार्या के कार्या कार्या

(ग) कार्यालय, पुस्तकालय और वर्ग कार्य के लिए वांखित उपस्करों का होना आवश्यक है।

प्रतिबन्ध संख्या (2)—विद्यालय को एक पुस्तकालय होना अनिवार्य होगा। पुस्तकालय में कम-से-कम एक हजार रुपये की पुस्तकें होंगी जिनमें पाठ्यप्रथ और छातोपयोगी पुस्तक आवश्यक होगी।

प्रतिबन्ध संख्या (3)—आकस्मिक आवश्यकता के लिए प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय प्रवत्ध समिति के संयुक्त नाम से सार्वजनिक खाते में क्म-से-कम एक हजार रुपये बैंक में जमा रहेंगे।

प्रतिबन्ध संख्या (4)—(क) नये विद्यालयों की प्रस्वीकृति की यह एक आवश्यक णर्त होगी कि विद्यालय प्रवन्ध समिति के पास रकम सप्रमाण हो जिससे बिना राजकीय अनुदान के भी कम-से-कम तीन वर्षों तक विद्यालय को चलाया जा सके। तीन वर्षों की छात संख्या, परीक्षाफल और संचालन की प्रगति देखकर ही राजकीय अनुदान देने पर विचार किया जाएगा।

(ख) विद्यालय प्रवन्ध समिति में कम-से-कम एक सरकारी पदाधिकारी का होना आवश्यक होगा और प्रत्येक तीन वर्ष पर प्रवन्ध समिति का पुनः सगठन हुआ करेगा।

(ग) विद्यालय को प्रस्वीकृति दिए जाने के पूर्व अध्यापकों की अस्थायी निष्ठक्ति के लिए विद्यालय प्रवन्ध समिति के द्वारा सगठित एक उप समिति होगी जिसमें बिहार संस्कृत शिक्षा परिषद्/कामेश्वर सिंह दरभगा संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा प्रतिनियोजित एक विशेषज्ञ रहेगा।

प्रतिबन्ध संख्या (5)—स्थायी नियुक्तियों के लिए योग्यता, वेतनमान, पद अदि के विवरण के साथ राज्य के किसी प्रसिद्ध समाचारपत्न में तिज्ञापन देना आवश्यक होगा। प्राथमिकता के क्रम में तीन नाम नियुक्ति सम्बन्धी प्रस्ताव के साथ प्रवन्ध समिति, विहार संस्कृत शिक्षा परिषद्/कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्व-विद्यालय के पास भेजेगी। बहाँ से अनुमोदन के बाद ही नियुक्ति पक्की समझी जाएगी। प्रस्ताव के माथ प्राप्त आवेदन पत्न, विज्ञापन की कटिंग, प्रार्थियों की योग्यता विवरणी भी भेजना आवश्यक होगा।

प्रतिबन्ध सख्या (6)—शहरी क्षेत एवं घनी आवादी के प्रामीण क्षेत को छोड़कर पाँच मील के भीतर दो माध्यमिक संस्कृत विद्यालय की प्रस्वीकृति नहीं दी बाएगी।

प्रतिबन्ध संख्या (7)—विद्यालय में पढ़नेवाले छातों की न्यूनतम संख्या साठ होगी और उपस्थिति सत्तर प्रतिशत आवश्यक होगी।

प्रतिबन्ध षंख्या (8)—विद्यालय में वर्ग कार्य एवं पाठ्य विषयों को ध्यान में रखते हुए प्रधानाध्यापक को छोड़कर सामान्यतः शिक्षकों का संख्या छुः होगी। प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की योग्यता निम्नांकित होगी:—

(क) प्रधानाध्यापक—इस पद के लिए प्राधियों को संस्कृत विद्यालय में पढ़ाये जानेवाले संस्कृत विद्यालय में पढ़ाये जानेवाले संस्कृत विषयों में से (आयुर्वेद को छोड़कर) किसी एक विषय में आचार्य परीक्षा में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होना तथा किसी माध्यमिक स्तर के विद्यालय में कम-धे-कम पाँच वर्षों का शैक्षणिक अनुभव होना आवश्यक होगा। शिक्षण एवं प्रशासन सम्बन्धी विशेषानुभव प्राप्त विद्वानों के लिए विशेष विचार किया जा सकता है।

(ख) सहायक शिक्षक—संस्कृत विषयों को ध्यान में रखते हुए आचार्य परीक्षोत्तीणं अनुभवी शिक्षकों की संख्या तीन होगी।

> (ग) आधुनिक विषयों को ध्यान में रखते हुए अनुभवी स्नातक शिक्षकों की तंख्या तीन होगी।

्ष) शिक्षकेतर कर्मचारी—विद्यालय में एक लिपिक होगा जो आधुनिक विषयों के साथ मध्यमा या तत्समकक्ष परोक्षोत्तीर्ण होगा ।

क्षि (इ) बादेशपाल (साक्षर)—एक।

इन विद्यालयों के शिक्षकों और कर्बचारियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान दिया काएगा।

· 提取(17等) - 4.

अष्युष्ति—नये विदालयों को प्रस्वीकृति दी जाने का यह तात्पर्यं कदापि नहीं होगा कि उन्हें सरकारी अनुदान प्राप्त हो जाय। विद्यालय की संतोषजनक प्रगति देखने के बाद इस बात की चेष्टा की जाएगी कि उन्हें अनुदान प्राप्त हो किन्तु यह राज्य की वित्तीय स्थिति पर्रही सम्भव होगा।

4. उच्चतर माघ्यसिक संस्कृत विद्यालय (एकावश एव द्वावश वर्ग) प्रतिकथ संख्या (1) —विद्यालय भवन और भूमि—

्र (क) देहाती क्षेत्र में विद्यालय भवन, खेल-कूद आदि के लिए कम-से-कम एक एकड़ एवं शहरी क्षेत्र में कम-से-कम दस कट्ठा भूमि विद्यालय के नाम सम्बन्धित होना चाहिए जहाँ विद्यालय अवस्थित होगा।

(ख) विद्यालय को कम-से-कम सात प्रकोष्ठों का अपना ईंट का भवन होना चाहिए । प्रकोष्ठों का आकार निम्नाकित होगा :—

1. 14×10 का दो प्रकोष्ठ (कर्याचय एवं पुस्तकालय के लिए)
18×12 का चार प्रकोष्ठ (वर्ग कार्य के लिए)

(ग) कार्यालय, पुस्तकालय और वर्ग कार्य के लिए वास्त्रित उपस्कर का होना आवस्पक है।

प्रतिबन्ध संख्या (2)—9ुस्तकालय में कम-से-कम पन्द्रह सौ रुपये की पुस्तकें जिल्हें जिनमें पाठ्यकम और छात्नोपयोगी पुस्तकें अवश्य रहें।

प्रतिबन्ध संख्या (3)— आकस्मिक आवश्यकता के लिए प्रधानाचार्य और विद्यालय के सचिव के संयुक्त नामों से सार्वजनिक खाते में कम-से-कम दो हजार रुपये होने चाहिए।

प्रतिबन्ध संख्या (4)—(क) नये प्रस्वीकृत होनेवाले विद्यालयं को चलाने के लिए प्रबन्ध समिति के पास इतनी रकम सप्रमाण होनी चाहिए जिससे बिना राजकीय अनुदान के भी कम-से-कम तीन वर्षों तक विद्यालय को चलाया जा सके। तीन वर्षों के छात संख्या, परीक्षाफल और संचालन की प्रगति देखकर ही राजकीय अनुदान देने पर विचार किया जाएगा। माध्यमिक संस्कृत विद्यालय से उच्चतर संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के लिए यह नियम लागू नहीं होगा।

्ब) विद्यालय प्रबन्ध समिति में कम-से-कम एक सरकारी पदाधिकारी का

(ग) तए विद्यालय को प्रस्वीकृति दी जाने के पूर्व, अध्यापकों की अस्थायी नियुक्ति के लिए विद्यालय प्रबन्ध समिति के द्वारा संगठित एक उप समिति होगी जिसमें बिहार संस्कृत शिक्षः प्रिषद्/कामेश्वर सिंह दरभगा, संस्कृत, विश्वविद्यालय के द्वारा प्रतिनियोजित एक विशेषज्ञ रहेगा।

वेतनमान, पद आदि के विवरण के साथ राज्य के किसी प्रसिद्ध समाचार-पत में संस्कृत विश्वविद्यालय के पास भेजेगी। वहाँ से अनुमोदन के बाद हो नियुक्ति पक्की समझी जाएगी। प्रस्तान के साथ प्राप्त आवेदन-पत्न, निज्ञापन कटिंग, प्राधियों की प्रस्ताव के साथ प्रबन्ध समिति, बिहार संस्कृत शिक्षा परिषद्∫कामेश्वर सिंह दरभंगा त्थिकर देना आवश्यक होगा। प्राथमिकता के क्रम से तीन नाम नियुक्ति सम्बन्धी योग्यता विवरणो भी भेजना आवश्यक होगा । प्रतिबन्ध संख्या (5)—शिक्षकों की स्थायी नियुक्तियों के लिए योग्यता

छोड़कर पाँच मील के भीतर दो उच्चतर माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों को प्रस्वीकृति नहीं दी जाएगी। प्रतिबन्ध संख्या (6)—शहरी क्षेत्र एवं नई आबादी के ग्रामीण क्षेत्र को

होगी और उपस्पिति सत्तर प्रतिशत आवश्यक होगी। प्रतिबन्ध संख्या (7)—विद्यालय में पढ़नेवालों छात्रों की न्यूनतम संख्यासाठ ANTONIO MATERIAL RIST A-425 4 . Walter

रखते हुए प्रधानाचार्य सहित शिक्षकों की कुल संख्या आठ (आठ) होगी। प्रतिबन्ध संख्या (8) विद्यालय में वर्ग कार्य एवं पाठ्य विषयों को ध्यान में

- (क) प्रधानाचार्य को विद्यालय में पढ़ ए जानेवाले संस्कृत विषयों में आयुर्वेद को छोड़कर किसी एक विषय में आचार्य परीक्षा में न्युनतम द्वितीय विशेष विचार किया जा सकता है। क्रम-से-कम सात वर्षों का गैक्षणिक अनुभव होना आवश्यक होगा। श्रेणी में उत्तीर्ण होना तथा किसी माध्यमिक स्तर के विद्यालय में शिक्षण एवं प्रशासन सम्बन्धी विशेषानुभव प्राप्त विद्वानों के लिए STANSON COMPANY
- होगा । (ख) सहायक शिक्षक— संस्कृत के विषय को ध्यान में रखते हुए अनुभवी स्नातक शिक्षक होंगे और एक अनुभवी एम० ए० उत्तीर्ण शिक्षक

शिक्षकेतर कर्मचारी—

- (गं) लिपिक-सह-टक्क-—(आधुनिक विषयों के साथ मध्यमा या तत्समकक्ष परीक्षोत्तीण)। 1757
- (ष) आदेशपाल (साक्षर) ।
- रावि प्रहरी (साक्षर)।

द्वारा निर्धारित बेतनमान दिया जाएगा। इस स्तर के विद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारियों को राज्य-सरकार के

नहीं होगा कि उन्हें सरकारी अनुदान प्राप्त हो ही जाए । विद्यालय की संतोषजनक प्रगति देखने के बाद ही इस बात की चेध्टा की जाएगी कि उन्हें अनुदान हो कितु यह राज्य की वित्तीय स्थिति पर ही निर्भर करेगा। अभ्युषित—नए विद्यालयों को प्रस्वीकृति दी जाने का यह तात्पर्य कदापि

ही गैर के प्राप्त की का अन्य के का का जा है जा के प्रतिकार की जा का जा क संस्कृत विद्यालय में प्रोन्नत किए जाएँगे वे अपेक्षित राजकीय अनुदान के । अधिकारी माध्यमिक स्तर के पूर्व प्रस्वीकृत जो संस्कृत विद्यालय उज्बतर माध्यमिक

5. संस्कृत महाविद्यालय-शास्त्री (तीन वर्ष)

The state of the state of the state of the state of

प्रतिबन्ध संख्या (1)—महाविद्यालय भवन और भूमि—

- (क) गूर्मिण क्षेत में कम-से कम दो एकड भूमि (दो प्लॉट में) तथा शहरी जहाँ महाविद्यालय अवस्थित होगा । र्वत में एक एकड भूमि महाविद्यालय के नाम निबंधित होनी चाहिए
- (ख) महाविद्यालय को आठ प्रकोष्ठों का पत्रका भवन होना आवश्यक

सचित रहे। प्रतिबन्ध संख्या (2)—महाविद्यालय के कोष में कम-ते-कम सात हजार रुपये

प्रतिबन्ध संख्या (3)—महाविद्यालय के पुस्तकालय में कम-से-कम दो हजार रुपये की पुस्तकें अनिवार्य रूप से हों जिनमें पाठ्यग्रन्थ और छात्तोपयोगी पुस्तकें अवक्य रहें। SAIRCH NO AND SALE ALCON TO

चार सौ रुपये होगा। 🦡 ः प्रतिबन्ध संख्या (4)—प्रस्वोकृति के पूर्व महाविद्यालय का निरीक्षण शुल्क

कार प्रतिबन्ध संख्या (5)—सम्बद्धता शुल्क दो हजार रुपये होगा। ु

- प्रतिबन्ध संख्या (6)—महाविद्यालय में प्रधानांचार्य सहित दसरिशक्षक होंगे। (क) प्रधानाचार्य 1—महाविद्यालय में पढ़ाये जानेवाले संस्कृत में से से-कम उच्चतर माध्यमिक स्तर तक संस्कृत शिक्षण का दस, वर्षो का विद्यालय में पाँच वर्षों का प्रशासिक अनुभव होना आवश्यक है। अनुभव अथवा कम-से-कम किसी <u>स्</u>वीकृत उज्जतर माध्यमिक संस्कृत किसी एक विषय में उच्च द्वितीय श्रेणी में आचार्य परीक्षोत्तीर्ण। कम-
- (ख) प्राध्यापक—महाविद्यालयं में पढ़ाए जानेवाले संस्कृत विषयों में कम-से-प्रभारी होंगे। कप उच्च द्वितीय श्रेणी में आचार्य परीक्षोत्तीणं साहित्य के दो, व्याकरण के दो और शास्त्र व्यवस्थानुसार दो। कुल छः संस्कृत के
- अंग्रेजी, हिन्दी और संस्कृत के एक-एक एम० ए० तथा आधुनिक उत्तोण) कुल चार प्राध्यापक आधुनिक विषयों के होंगे। विषयों के व्यवस्थानुसार एक एम० ए० (न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में

(ख) टकक---1- (आधुनिक विषयों के साथ मध्यमा या तत्समकक्ष परी-क्षोत्तीर्ण) (क) लिपिक—1. (आधुनिक विषयों के साथ मध्यमा या तत्समकक्ष परीक्षोत्तीण) शिक्षकेतर कर्मचारी—

(ग) आदेशपाल—1. साक्षर।

(घ) राति प्रहरी—1. (साक्षर)।

भूमि और कोष को छोड़कर अन्य सभी प्रतिबन्ध पूर्व प्रस्वीकृत महाविद्यालयों

के लिए भी अनिवार्य होंगे। आवश्यक है :--(क) महाविद्यालय के नाम निबंधित भूमि के कागजातों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि। प्रतिबन्ध संख्या (7)—छात्रों की न्यूनतम संख्या साठ होगी। टिप्पणी—(1) उपर्धेक्त शर्त की पूर्ति के साथ निम्नलिखित सूचना भेजना

(ख) कोष, संस्था तथा जिस बैंक या डाकघर में राधि संचित हो उसका पूर्ण विवरण पत्नीचार के पता के साथ ।

(ग) पुस्तक-सूची (मृत्य के साथ)

(घ) भवन का नक्शा एवं विवरण 🕩 (2) निरोक्षण गुल्क, सम्बद्धता गुल्क :--मान्यता की कार्यवाही के पहले विश्वविद्यालय के कोष में जमा करना

ं विश्वविद्यालयं कोष में जमा करना होगा। सम्बद्धता गुल्क की अनुशंसा के उपरान्त निदेशानुसार तथा समक्ष

अराजकीय सदरसों के वर्गोकरण, उनकी प्रस्वीकृति की शर्ते और उनमें शिक्षण एवं शिक्षणेतर स्टाफ का निर्धारण THE STATE OF THE S सं 。 आई/अ-11-08/78--1090

शिक्षा विसाग

ज्ञिला अराजकीय मदरसों के वर्गीकरण, उनकी प्रस्वीकृति की शतों और 29 नवम्बर, 1980